संख्या-015/एमएससी/052
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 06.01.2016

परिपत्र सं-01/01/2016

विषय: मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास लंबित मामलों के संबंध में ।

संदर्भ: आयोग का दिनांक 17.08.2015 का परिपत्र सं0 10/08/15 ।

आयोग ने विगत में गंभीरता के साथ नोट किया था कि कुछ मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोग की वेबसाईट पर सी.वी.ओ. कार्नर के अंतर्गत अपने संबंधित खाते में लॉग इन नहीं कर रहे थे तथा लंबित मामलों/शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहे थे । अत:, यह अपेक्षा की गई थी कि सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने संबंधित खातों में तत्काल लॉग इन करें तथा प्रारंभ में 6 माह से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का निपटान शीघ्रतापूर्वक किया जाना सुनिश्चित करें । जिनके पास 6 माह से अधिक समय से लंबित मामले कम थे उनको 6 माह से कम समय से लंबित मामलों पर कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी ।

2. मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लॉग का निरीक्षण करने पर, आयोग ने यह प्रेक्षित किया कि कई मुख्य सतर्कता अधिकारी (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक दोनों) अभी भी अपने लंबित मामलों की नियमित रूप से जांच नहीं कर रहे हैं । अत:, सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि अपने संबंधित खाते में लॉग इन करें तथा लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई नियमित रूप से करें ।

3. आगे समीक्षा में यदि, यह नोटिस किया गया कि अभी भी कुछ मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने लंबित मामलों की जांच नहीं कर रहे हैं तथा आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आयोग ऐसे मामलों में गंभीर दृष्टिकोण लेने के लिए बाध्य होगा ।

ह0-
(जे.विनोद कुमार)
निदेशक

मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।